

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 15 जनवरी, 2009 को अपराह्न 2.30 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 31वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की इकततीसवीं (31वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 15 जनवरी, 2009 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमरा नंबर 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए 552 औपचारिक अनुमोदनों में से अब तक 278 एसईजेड अधिसूचित हो चुके हैं। इन एसईजेड में 101906.21 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा कुल 3,66,333 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। 2006-07 की तुलना में निर्यात में 92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

3. तथापि, अध्यक्ष ने बताया कि अनुमोदित एसईजेड को औपचारिक रूप से अधिसूचित करने में काफी विलंब हो रहा है जो अधिकांश मामलों में राज्य सरकार के स्तर पर है। उन्होंने बताया कि यदि इसी तरह विलंब होता रहा तो इस बात की पूरी संभावना है कि निवेश अन्य राज्यों में चला जाएगा।

मद संख्या 1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. ग्राम सरवनपट्टी, जिला कोयंबटूर, तमिलनाडु में 11.5904 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सहित आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स हाल मार्क टेक्नो पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम सरवनपट्टी, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में 11.5904 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सहित आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स हाल मार्क टेक्नो पार्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. ग्राम अरासूर, जिला कोयंबटूर, तमिलनाडु में 20.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सहित आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स केपीआर डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम अरासूर, जिला कोयंबटूर, तमिलनाडु में 20.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सहित आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष

आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स केपीआर डवलपर्स लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. ग्राम वकाड, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 10.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वकाड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम वकाड, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 10.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वकाड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. एस कोटा, जिला विजयनगरम, आंध्र प्रदेश में 240 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एल्युमीनियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जेएसडब्ल्यू एल्युमीनियम लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 251 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है। तथापि, विकासक ने केवल 240 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड की स्थापना के लिए आवेदन किया था। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने एस कोटा, जिला विजयनगरम, आंध्र प्रदेश में 240 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एल्युमीनियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जेएसडब्ल्यू एल्युमीनियम लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. ग्राम उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 128.4292 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 4377 हेक्टेयर में एसईजेड की स्थापना के लिए विकासक को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें से 3 प्रस्तावों को औपचारिक रूप से मंजूरी प्रदान की जा चुकी है तथा वर्तमान प्रस्ताव नए औपचारिक अनुमोदन के लिए है। विकासक का भूमि पर कब्जा था। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 128.4292 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. ग्राम लोहागांव, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 19.57 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कीर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर का अनुरोध (बीओए दिनांक 8 दिसंबर, 2008 की आस्थगित आस्थगित मद)

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम लोहागांव, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 19.57 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कीर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रस्ताव को अधिसूचना से पूर्व पंजीकृत पट्टा / बिक्री विलेख प्रस्तुत करने के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. जिला कोल्लम, केरल में 18 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए केरल स्टेट आईटी / आईटीईएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड का अनुरोध (बीओए दिनांक 8 दिसंबर, 2008 की आस्थगित मद)

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने जिला कोल्लम, केरल में 18 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए केरल स्टेट आईटी / आईटीईएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. सेक्टर 132, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.457 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए केरल मैसर्स वेलगो इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (बीओए दिनांक 8 दिसंबर, 2008 की आस्थगित मद)

अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि यह मामला एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 3 (10) के अंदर विचार किया जाने वाला अपनी तरह का पहला मामला है। एसईजेड की निगरानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि संपूर्ण क्षेत्र प्रसंस्करण क्षेत्र होगा तथा कोई गैर प्रसंस्करण क्षेत्र नहीं होगा। 4 विकासकों में से प्रत्येक विकासक एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत सभी नियमों एवं विनियमों के अनुसरण में अपने अपने भूखंड का विकास करेंगे। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर 132, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.457 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मुख्य विकासक के रूप में केरल मैसर्स वेलगो इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ विकासकों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

क्र. सं.	विकासक का नाम	क्षेत्रफल
1.	वेलगो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड (लीड डेवलपर)	4 हेक्टेयर
2.	वंश सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	2.409 हेक्टेयर

3.	पैनेसिया टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड	2.024 हेक्टेयर
4.	अब्लूम इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	2.024 हेक्टेयर
	कुल	10.457

चार विकासक संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से इस प्रयोजनार्थ निर्धारित अवधि के अंदर एसईजेड के विकास के लिए जिम्मेदार होंगे।

(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में 1032 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लेपाक्षी नालेज हब प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में 1032 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स लेपाक्षी नालेज हब प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. ग्राम वंजोरे, तिरुपट्टिनम कम्प्यून्, जिला कराईकल, पांडिचेरी में 243.503 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पोर्ट आधारित बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने एसईजेड क्षेत्र में पोर्ट के साथ पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड के लिए अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड एसईजेड क्षेत्र के अंदर पोर्ट पर विचार नहीं कर रहा है तथा पोर्ट एसईजेड क्षेत्र के बाहर होना चाहिए। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम वंजोरे, तिरुपट्टिनम कम्प्यून्, जिला कराईकल, पांडिचेरी में 243.503 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पोर्ट आधारित बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि पोर्ट एरिया एसईजेड का अंग नहीं होगा और अलग से निर्धारित किया जाएगा। अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि विकासक द्वारा पोर्ट के क्षेत्र को निरूपित किया जा सकता है और विकासक द्वारा शेष विनिर्देशन प्रस्तुत किए जाने के बाद अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ उसकी अगली बैठक में उसे रखा जा सकता है।

3. अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में 112 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खाद्य उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स आनंद एगोकेम इंडिया लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का आंशिक कब्जा है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में 112 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आनंद एगोकेम इंडिया लिमिटेड द्वारा खाद्य उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ग) आस्थगन के लिए निर्णय :

1. पोवई, मुंबई, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड ट्रब्रो लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि जिस भूमि पर एसईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है वह खाली नहीं है क्योंकि कुछ मौजूदा संरचनाएं हैं जिसे एलएंडटी खाली कराने की प्रक्रिया में है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने तथा खाली भूमि की उपलब्धता के संबंध में पुष्टि की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 2 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) प्लॉट नंबर 01, सेक्टर 140ए, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में मैसर्स सर्व मंगल रियल्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	आवासीय अपार्टमेंट	5,000	5,000
2.	सर्विस अपार्टमेंट	10,000	10,000
3.	व्यवसाय केन्द्र	2,000	2,000
4.	रिटेल	1,000	1,000
5.	क्लब, जिम आदि	3,000	3,000
6.	फूड कोर्ट / रेस्टोरेंट	2,000	2,000
7.	वाणिज्यिक	9,000	9,000

8.	मनोरंजन / खेल पार्क	2,000	2,000
	कुल	34,000	34,000

(ii) गुड़गांव, हरियाणा में क्षेत्र विशिष्ट आईटी एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट्स का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	सुविधाएं	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए विद्युत पावर बैकअप की सुविधाओं सहित	110 एमवीए	110 एमवीए
2.	क) भूतल और स्टिल्ट पार्किंग ख) बेसमेंट पार्किंग	82914 414569	82914 414569
3.	क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं प्रेक्षागृह	1500 4000	1500 4000
4.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	1500	1500
5.	कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा केन्द्र	500	500

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक का प्रतिनिधि मामले को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं है। इसलिए, अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के लिए विकासक के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iii) आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स श्री सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	सुविधाएं	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	आवास	460585 (4250 यूनिट)	460585 (4250 यूनिट)
2.	स्कूल	30,000	30,000
3.	चिकित्सा और प्रारंभिक स्कैनिंग केंद्र	1000	1000
4.	सामूहिक शयन कक्ष	25,000	25,000
5.	सर्विस अपार्टमेंट	20,000 (400 अपार्टमेंट)	20,000 (400 अपार्टमेंट)
6.	50 बेड का अस्पताल	2,500	2,500
7.	शॉपिंग	2,500	2,500

प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	सुविधाएं	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ)	50,000	50,000
2.	ईंधन प्रदान करने के लिए सुविधा	2000 (प्रत्येक पेट्रोल / डीजल के लिए प्रति माह 20000 लीटर की प्रस्तावित क्षमता)	2000 (प्रत्येक पेट्रोल / डीजल के लिए प्रति माह 20000 लीटर की प्रस्तावित क्षमता)
3.	फूड कोर्ट / कैंटीन / फूड स्टाल	1,000	1,000
4.	इंक्वैबेशन सेंटर	12,000	12,000

(iv) टीपी-1, राय, सोनीपत, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अनंत राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
----------	----------------	------------------------------------	--------------------------------

		में)	
1.	गैर आईटी क्षेत्रों के लिए सर्विस अपार्टमेंट (212 यूनिटें)	16,222.25	16,222.25
2.	रिटेल स्पेस और यूटिलिटीज जैसे कि टेलीफोन कियोस्क, फूड कियोस्क आदि	6,826.55	6,826.55
3.	मनोरंजन की सुविधाएं जैसे कि एंफी थिएटर, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, इंडोर गेम्स	3,500	3,500

मद संख्या 3 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

सह विकासक के लिए अनुरोधों पर विचार करते समय सीबीडीटी के प्रतिनिधियों ने दीर्घ अवधि के पट्टों से आय के कर संव्यवहार के मुद्दों को उठाया। अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए खास नियमों एवं शर्तों के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पैमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त आपत्ति के अधीन सह विकासकों के निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि सह विकासक द्वारा संचालित की जाने वाली अधिकृत गतिविधियों को बोर्ड द्वारा अलग से अनुमोदित किया जाएगा। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने केवल सह विकासक का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया।

(i) नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में 6.2654 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सह विकासक के लिए मैसर्स अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) मोहाली, पंजाब में मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स क्वार्कसिटी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नागपुर, महाराष्ट्र में मोहाली, पंजाब में मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में 13.75

हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सह विकासक के लिए मैसर्स क्वार्कसिटी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा उथुकुली, पेरुंदुरई जिला, तमिलनाडु में टेक्सटाइल एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रेट इंडियन लिनेन एंड इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 22 सितंबर 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार बहुत स्पष्ट नहीं था। निवल मूल्य के आंकड़े भी प्रदान नहीं किए गए। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि अभी भी और स्पष्टता की आवश्यकता है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iv) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स ब्राह्मणी इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मंत्री टेक्नोलॉजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स ब्राह्मणी इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मंत्री टेक्नोलॉजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 4: क्षेत्र को परिवर्तित करने के लिए अनुरोध

(i) उडुपी, कर्नाटक में सेक्टर को हाइटेक इंजीनियरिंग से बदलकर हाइटेक इंजीनियरिंग तथा सभी इंजीनियरिंग संबद्ध उत्पाद एवं सेवा क्षेत्र करने के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने सेक्टर में परिवर्तन के लिए अनुरोध करते हुए सेवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया है जिस पर विचार नहीं किया जा सकता है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उडुपी, कर्नाटक में सेक्टर को हाइटेक इंजीनियरिंग से बदलकर इंजीनियरिंग करने के लिए मैसर्स सुजलोन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) जिला बड़ोदरा, गुजरात में सेक्टर को हाइटेक इंजीनियरिंग से बदलकर हाइटेक इंजीनियरिंग तथा सभी इंजीनियरिंग संबद्ध उत्पाद एवं सेवा क्षेत्र करने के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

(iii) कोयंबटूर, तमिलनाडु में सेक्टर को हाइटेक इंजीनियरिंग से बदलकर हाइटेक इंजीनियरिंग तथा सभी इंजीनियरिंग संबद्ध उत्पाद एवं सेवा क्षेत्र करने के लिए मैसर्स सुजलोन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने सेक्टर में परिवर्तन के लिए अनुरोध करते हुए सेवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया है जिस पर विचार नहीं किया जा सकता है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कोयंबटूर, तमिलनाडु में सेक्टर को हाइटेक इंजीनियरिंग से बदलकर इंजीनियरिंग करने के लिए मैसर्स सुजलोन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 5 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध

(i) सेरीलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मेटास एंटरप्राइजेज एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श बाद अनुमोदन बोर्ड ने विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स मेटास एंटरप्राइजेज एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(ii) बंगलौर, कर्नाटक में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स सेसना गार्डेन डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में 1.9020258 के अतिरिक्त क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए मैसर्स सेसना गार्डेन डवलपर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 18.7920 हेक्टेयर हो जाएगा।

(iii) चेंगलपट्टु, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने चेंगलपट्टु, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में 1.43.7 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 265.6 हेक्टेयर हो जाएगा।

मद संख्या 6 : विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड द्वारा एलओए के निरसन के विरुद्ध मैसर्स माइक्रोकाम इंडिया लिमिटेड की अपील

यूनिट धारक ने मामले को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि किन परिस्थितियों में एलओए को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एलओए के निरसन को वापस न लेने का निर्णय लिया। परंतु, फर्म द्वारा किए जा चुके निवेश को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि यूनिट धारक को नोएडा एसईजेड में स्थान आवंटित किया जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ यूनिट धारक द्वारा नया आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा अनुमोदन बोर्ड ने नोएडा एसईजेड को निदेश दिया कि वे इस नए आवेदन की प्राप्ति पर विशेष मामले के रूप में यूनिट धारक को 2000 वर्गमीटर का स्पेस आवंटित करें।

मद संख्या 7: गुड़गांव, हरियाणा में इंजीनियरिंग एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों में संशोधन के लिए मैसर्स रहेजा हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने गुड़गांव, हरियाणा में इंजीनियरिंग एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों में संशोधन के लिए मैसर्स रहेजा हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया, जिसका ब्यौरा सारणी में दिया गया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	अनुमोदित की चुकी मात्रा (वर्गमीटर में)	नई अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	रेजिडेंशियल / हाउसिंग यूनिट्स	प्रत्येक 100 वर्गमीटर की 6000 यूनिट	i. 100 वर्गमीटर की 3000 यूनिट (कुल 3 लाख वर्गमीटर) ii. 25 वर्गमीटर से 70 वर्गमीटर की 6000 यूनिटें (3 लाख वर्गमीटर)

मद संख्या 8 : सूरत एसईजेड द्वारा भूखंडों को निरस्त करने के संबंध में शिकायतें

विचार विमर्श करने तथा यह नोट करने के बाद कि अभी तक मुकदमों का फैसला नहीं हुआ है, अनुमोदन बोर्ड ने एजेंडा मद को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 9 : एसईजेड विकासक को जारी किए गए सैद्धांतिक या औपचारिक अनुमोदन को उसकी सहायक कंपनी या एसपीवी को हस्तांतरित करना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि नाम में परिवर्तन / अनुमोदन के स्थानांतरण के लिए काफी संख्या में मामले लंबित हैं। चूंकि अनेक मामलों में अनुमोदनों को लागू नहीं किया गया है, इसलिए फर्म परियोजनाओं के संबंध में कोई प्रगति नहीं कर पाई है।

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड अध्यक्ष को सदस्य, सीबीडीटी द्वारा भेजे गए पत्र की ओर ध्यान आकृष्ट किया, जिसकी प्रति संलग्न है। सीबीडीटी द्वारा उठाया गया प्रमुख मुद्दा यह है कि एसईजेड अधिनियम में ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है और उन्होंने बताया कि यदि कोई नीतिगत निर्णय लेना है तो सभी हितधारकों से परामर्श कराना होगा। इसके अलावा इन प्रस्तावों पर विचार करने से पूर्व यथास्थिति एसईजेड अधिनियम या नियमावली में संशोधन करना वांछनीय होगा।

वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि इससे पहले अनुमोदन बोर्ड ने 100 प्रतिशत सहायक कंपनियों या ऐसी संस्थाओं को अनुमोदन के हस्तांतरण के लिए अनुमति प्रदान की है जहां मूल विकासक का नियंत्रक अधिकार बना रहेगा। अन्य मामलों में जिनमें स्वयं कंपनियों के नाम बदल गए हैं, उनको अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया था। एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के लिए प्रत्येक गतिविधि का उल्लेख करना संभव नहीं होगा तथा अनेक मामलों में सामान्य खंड अधिनियम को नोट करना चाहिए। वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि विचाराधीन मामलों को चार श्रेणियों में वर्णित किया जा सकता है अर्थात् (i) जहां 100 प्रतिशत सहायक कंपनी का सृजन किया जा रहा है तथा स्वामित्व मूल विकासक के पास बना रहेगा; (ii) जहां राज्य सरकार या उसके औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित आवश्यकता को ध्यान में रखकर एसपीवी का गठन किया गया है, जिसने कम से कम 10 प्रतिशत शेयर प्राप्त करने के लिए भूमि प्रदान की है; (iii) जहां शेयर होल्डिंग का संशोधित पैटर्न उपलब्ध नहीं है; अथवा (iv) जहां स्वामित्व का हस्तांतरण है। सुझाव दिया गया कि पहले दो मामलों में हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि कुल मिलाकर स्वामित्व का पैटर्न पूर्ववत् बना रहेगा। कर के किसी नुकसान का भी प्रश्न नहीं है क्योंकि ये अभी तक केवल औपचारिक या सैद्धांतिक अनुमोदन के चरण पर हैं।

इसके बाद मुद्दे पर चर्चा हुई जिसमें राज्य सरकारों तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के सभी प्रतिनिधियों ने यह राय व्यक्त की कि पहली दो श्रेणियों में औपचारिक अनुमोदन / सैद्धांतिक अनुमोदन के हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि ने पहले व्यक्त की गई अपनी राय को दोहराया।

इसके बाद हुई विस्तृत चर्चा में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की यह राय थी कि सामान्य व्यापार प्रथाओं एवं वाणिज्यिक लेनदेन की दृष्टि से सहायक कंपनियों / एसपीवी / जेवी का गठन बहुत आम बात है। इन संस्थाओं को सौंपे गए विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए इनका सृजन किया जाता है तथा उनका गठन करने वाली मूल कंपनी की तरह उनकी भी कानूनी बाध्यताएं एवं कर्तव्य होते हैं। यदि परिवर्तित कंपनी में स्वामित्व का मूल पैटर्न बना रहता है तो नाम में परिवर्तन के बारे में कोई गंभीर आपत्ति नहीं हो सकती है। इसके अलावा, अधिकांश

मामलों में कर के प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं हो सकता है क्योंकि उनको औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है तथा अभी तक उन्होंने कोई गंभीर प्रचालन शुरू नहीं किया है। यह भी नोट किया गया कि अतीत में 100 प्रतिशत सहायक कंपनियों के संबंध में नाम में परिवर्तन के लिए अनुमति प्रदान की गई है। विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपनी पिछली सलाह को दोहराया कि नीतिगत निर्णय लेना प्रशासनिक विभाग की जिम्मेदारी है कि क्या इस सुरक्षोपाय के अधीन ऐसे हस्तांतरण को सुगम बनाना है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा या अधिनियम में कोई संशोधन किया जाए। अनुमोदन बोर्ड ने विधि मंत्रालय की सलाह को नोट किया तथा एसईजेड अधिनियम की धारा 9 (2) के प्रावधानों को नोट किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित श्रेणियों में नाम में परिवर्तन / अनुमोदन के हस्तांतरण के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

- (i) श्रेणी 1 - जहां नाम में एक से अधिक परिवर्तन हों तथा मूल विकासक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई परिवर्तन न हो,

क्र. सं.	विकासक का नाम, सेक्टर, लोकेशन, क्षेत्रफल	अनुमोदन का ब्यौरा	नया नाम जिसके लिए अनुरोध किया गया है	नाम में परिवर्तन / अनुमोदन अंतरण के कारण	शेयर होल्डिंग का पैटर्न
1.	मैसर्स रहेजा हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड	132 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 6 जुलाई, 2006 को सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया था।	मैसर्स रहेजा एसईजेड लिमिटेड		इसके सहयोगियों तथा शेयर होल्डिंग का पैटर्न सहित प्रमोटर की इक्विटी में कोई परिवर्तन नहीं है।
2.	जयंत ऑयल एंड डेरिवेटिव्स लिमिटेड		बायोटोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड		नाम में परिवर्तन से पहले और इसके बाद सभी निदेशक और निदेशकों की इक्विटी समान है।
3.	जिलियन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड		एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड		शेयरहोल्डिंग के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है।
4	श्रीओमजी डवलपर्स		श्रीओमजी		नाम में परिवर्तन से

	प्राइवेट लिमिटेड		डवलपर्स एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड		पहले और इसके बाद सभी निदेशक और निदेशकों की इक्विटी समान है।
5	मैसर्स आरएनबी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर, तमिलनाडु में टेक्सटाइल सेक्टर	107.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 25 जून, 2006 को सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया था।	मैसर्स आरएनबी एसईजेड कोयंबटूर प्राइवेट लिमिटेड		नाम में परिवर्तन से पहले और इसके बाद सभी निदेशक और निदेशकों की इक्विटी समान है।
6.	मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड (बीएएल), औरंगाबाद, महाराष्ट्र में आटोमोबाइल तथा आटोमोबाइल कंपोनेंट सेक्टर	100.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 17 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया।	बजाज होल्डिंग्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड (बीएचआईएल)	कंपनी का डिमर्जर हो गया है। एसईजेड परियोजना के लिए सीमांकित भूमि तथा संबंधित क्लियरेंस बजाज आटो लिमिटेड के नाम में है। डिमर्जर के बाद एसईजेड वाला भाग बजाज होल्डिंग्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड के पास बना रहा।	प्रमोटर - 28.91 प्रतिशत, प्रमोटर के मित्र एवं सहयोगी - 16.26 प्रतिशत, जीडीआर - 1.78 प्रतिशत, विदेशी संस्थागत निवेशक - 20.03 प्रतिशत, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं - 8.61 प्रतिशत, म्युचुअल फंड - 1.11 प्रतिशत, राष्ट्रीयकृत एवं अन्य बैंक - 0.25 प्रतिशत, एनआरआई और ओसीबी - 0.61 प्रतिशत, अन्य - 22.45 प्रतिशत

- (ii) श्रेणी 2 - जहां अनुमोदन विकासक कंपनी के 100 प्रतिशत एसपीवी या पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) को अंतरित किया गया हो,

क्र.	विकासक का नाम,	अनुमोदन का	नया नाम जिसके	नाम में परिवर्तन /	शेयर होल्डिंग
------	----------------	------------	---------------	--------------------	---------------

सं.	सेक्टर, लोकेशन, क्षेत्रफल	ब्यौरा	लिए अनुरोध किया गया है	अनुमोदन के अंतरण के कारण	का पैटर्न
1.	मैसर्स चिपलून इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, रायगढ़, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड	10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 31 अक्टूबर, 2006 को औपचारिक अनुमोदन किया गया था।	मैसर्स करंजा इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	अधिसूचना के लिए निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई। मैसर्स चिपलून इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स करंजा इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बीच गैर पंजीकृत पट्टा करार के माध्यम से भूमि पर विकासक का कब्जा था। मैसर्स चिपलून इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स करंजा इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का डब्ल्यूओएस है तथा दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया चल रही है। विकासक ने यह भी अनुरोध किया है कि विलय की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर पट्टा विलेख तथा उसके पंजीकरण की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद विकासक को सबसे पहले विलय की प्रक्रिया पूरी	चिपलून इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स करंजा इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

				<p>करने की सलाह दी गई परंतु दोनों संस्थाओं के विलय की प्रक्रिया को पूरी करने में समय लग रहा है, इसलिए मैसर्स चिपलून इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन मैसर्स करंजा इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया जा सकता है। विकासक से दोनों संस्थाओं के बीच गैर पंजीकृत पट्टा करार को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ताकि भूमि का कानूनी स्वामित्व मैसर्स करंजा इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पास बना रहे।</p>		
2.	<p>मैसर्स राकिंडो कोवाई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, पेरूर चेट्टीपलयम गांव, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस</p>	<p>10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 5 दिसंबर, 2007 को औपचारिक अनुमोदन किया गया था।</p>	<p>कोवई टाउनशिप लिमिटेड</p>	<p>हिल्स प्राइवेट</p>	<p>बेहतर प्रशासनिक प्रलेखन एवं लेखांकन में सुविधा के लिए</p>	<p>मैसर्स कोवई हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स राकिंडो कोवाई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का</p>

					डब्ल्यूओएस है। मैसर्स कोवई हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड में प्रत्येक 10 रुपए की 10000 इक्विटी शेयर की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी मैसर्स राकिंडो कोवाई टाउनशिप द्वारा धारित है।
3.	मैसर्स सांसा इंडिया लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड	औपचारिक अनुमोदन दिनांक 16 जून 2006	मैसर्स सांसा इंडिया एसईजेड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	विकासक ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक एसपीवी का गठन किया है जिसका नाम सांसा इंडिया एसईजेड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है।	1. मैसर्स सांसा साइप्रस (नंबर 2) लिमिटेड (99.99 प्रतिशत शेयर) 2. मैसर्स सांसा साइप्रस (नंबर 1) लिमिटेड (0.01 प्रतिशत शेयर)

(iii) श्रेणी 3 - मैसर्स बजाज होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में न्यायालय के निर्णय को देखते हुए डिमर्जर,

क्र. सं.	विकासक का नाम, सेक्टर, लोकेशन, क्षेत्रफल	अनुमोदन का ब्यौरा	नया नाम जिसके लिए अनुरोध किया गया है	नाम में परिवर्तन / अनुमोदन के अंतरण के कारण	शेयर होल्डिंग का पैटर्न
1.	मैसर्स बजाज	100.26 हेक्टेयर	बजाज होल्डिंग्स एंड	कंपनी का डिमर्जर हो	प्रमोटर - 28.91

	<p>आटो लिमिटेड (बीएएल), औरंगाबाद, महाराष्ट्र में आटोमोबाइल तथा आटोमोबाइल कंपोनेंट सेक्टर</p>	<p>के क्षेत्रफल में 17 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया।</p>	<p>इनवेस्टमेंट लिमिटेड (बीएचआईएल)</p>	<p>गया है। एसईजेड परियोजना के लिए सीमांकित भूमि तथा संबंधित क्लियरेंस बजाज आटो लिमिटेड के नाम में है। डिमर्जर के बाद एसईजेड वाला भाग बजाज होल्डिंग्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड के पास बना रहा।</p>	<p>प्रतिशत, प्रमोटर के मित्र एवं सहयोगी - 16.26 प्रतिशत, जीडीआर - 1.78 प्रतिशत, विदेशी संस्थागत निवेशक - 20.03 प्रतिशत, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं - 8.61 प्रतिशत, म्युचुअल फंड - 1.11 प्रतिशत, राष्ट्रीयकृत एवं अन्य बैंक - 0.25 प्रतिशत, एनआरआई और ओसीबी - 0.61 प्रतिशत, अन्य - 22.45 प्रतिशत</p>
--	--	--	---------------------------------------	--	---

(iv) श्रेणी 4 - जहां राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार या उसके किसी संगठन द्वारा आंशिक रूप से इक्विटी धारित की गई हो,

क्र. सं.	विकासक का नाम, सेक्टर, लोकेशन, क्षेत्रफल	अनुमोदन का ब्यौरा	नया नाम जिसके लिए अनुरोध किया गया है	नाम में परिवर्तन / अनुमोदन के अंतरण के कारण	शेयर होल्डिंग का पैटर्न
1.	मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड, अंबाला, हरियाणा में बहु उत्पाद एसईजेड	1012 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 3 अप्रैल, 2006 को सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया था।	मैसर्स डीएलएफ हरियाणा एसईजेड (अंबाला) लिमिटेड	विकासक ने एचएसआईडीसी के साथ एक जेवी करार पर हस्ताक्षर किए हैं तथा उन्होंने	डीएलएफ लिमिटेड - 44995 शेयर, एचएसआईडीसी 5000 शेयर, डीएलएफ लिमिटेड का नामिती - 5

				मैसर्स डीएलएफ हरियाणा एसईजेड (अंबाला) लिमिटेड नामक एक एसपीवी का निगमन किया है।	शेयर (50:50)
6.	मैसर्स भारत फोर्ज लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड	2000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 3 अप्रैल, 2006 को सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया था।	मैसर्स खेड़ इकोनामिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	मैसर्स खेड़ इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम एवं शैली में एसपीवी द्वारा परियोजना कार्यान्वित की जाएगी।	एमआईडीसी तथा भारत फोर्ज लिमिटेड एसपीवी कंपनी की शेयर पूंजी में क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत का योगदान करेंगे।

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी कहा कि नाम में परिवर्तन / अनुमोदन के अंतरण के मामलों के संबंध में ये दिशानिर्देश अब से लागू होंगे।

शेष मामलों के संबंध में वाणिज्य विभाग राजस्व विभाग के परामर्श से अलग से मामले की जांच करेगा और अलग नीति दिशानिर्देश तैयार करेगा।

मद संख्या 10 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 3 साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सिंटेल् इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

तीन साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया। पाया गया कि मंजूरी पत्र 9 जून 2006 को जारी किया गया। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रत्येक मामले में दो साल के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि विकासक जून 2011 में भौतिक प्रगति के ब्यौरों के साथ औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकता है।

(ii) 3 साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स उप्पल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

तीन साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया। पाया गया कि मंजूरी पत्र 3 अप्रैल 2006 को जारी किया गया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रत्येक मामले में एक साल के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि विकासक अप्रैल 2010 में भौतिक प्रगति के ब्यौरों के साथ औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकता है।

मद संख्या 11 : आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नायडूपेट मंडल, नेल्लौर जिला, आंध्र प्रदेश में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड की सन्निकटता की शर्त में छूट के लिए अनुरोध

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्तावित एसईजेड एक सड़क द्वारा पलचूर गांव से जयंपू गांव तक और वेंकटगिरि गांव से नायडूपेटा गांव तक अलग हो रहा है। एपीआईआईसी के प्रतिनिधि ने सन्निकटता स्थापित करने के लिए ओवरपास / अंडरपास का निर्माण करने का प्रस्ताव किया। राज्य सरकार ने भी सन्निकटता की शर्त में ढील देने का अनुरोध किया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन एसईजेड (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2007 के साथ पठित एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 7 के उप नियम (2) के परंतुक के अनुसरण में सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया :

- (i) विकासक समर्पित सिक्योरिटी गेट / ओवरब्रिज / अंडरपास द्वारा सन्निकटता स्थापित करेगा और इसके द्वारा सुनिश्चित करेगा कि इन आम रास्तों से एसईजेड में कोई अनधिकृत प्रवेश संभव न हो और संशोधन दिनांक 16 मार्च 2007 से पूर्व एसईजेड नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सड़क के दोनों ओर 2.4 मीटर ऊंची वाल / चैन लिंक फेंसिंग तथा 0.6 मीटर कटीले तार की फेंसिंग के साथ फेंसिंग भी करेगा।
- (ii) सन्निकटता स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा।
- (iii) संबंधित प्राधिकरणों जैसे कि एनएचएआई तथा अन्य द्वारा वाणिज्य विभाग को औपचारिक अनुमोदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा सन्निकटता स्थापित करने के लिए कार्य तभी शुरू किया जाएगा अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाएंगे।
- (iv) किसी एसईजेड यूनिट के लिए एलओए तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि सन्निकटता स्थापित करने और प्रसंस्करण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सभी उपाय पूरे नहीं हो जाते हैं।

मद संख्या 12 : विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए प्रस्ताव

(i) मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गांव ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में सूचना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्तावित मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में एफडीआई के लिए है। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार एसईजेड में आटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई अनुमत है। प्रमोटर (विकासक) ने बताया है कि प्रमोटर द्वारा धारित करने के लिए प्रस्तावित इक्विटी 60.18 प्रतिशत है तथा शेष इक्विटी निवेशक द्वारा धारित की जाएगी। अनुमोदन बोर्ड ने बताया कि प्रमोटर को सुनिश्चित करना चाहिए कि यह इक्विटी 51 प्रतिशत से कम न हो। यदि प्रमोटर शेयर होल्डिंग को घटाकर 51 प्रतिशत से नीचे लाने का निर्णय लेगा तो अनुमोदन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होगा। अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि प्रमोटर (विकासक) को इस स्थिति के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए।

मद संख्या 13 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश / मानदंड

अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को मंजूरी प्रदान की :

एसईजेड का प्रकार	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (1)	दूसरी बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (2)
न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल की आवश्यकता वाले आईटी / आईटीईएस / रत्न एवं आभूषण / बायोटेक / गैर परंपरागत ऊर्जा एसईजेड आदि तथा स्टैंड एलॉन एफटीडब्ल्यूजेड	अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनी 12वीं बैठक में निर्धारित की गई शर्तें	ऐसे मामलों में दूसरी बार अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।
उपर्युक्त से भिन्न क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड	अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनी 12वीं बैठक में निर्धारित की गई शर्तें	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा विकासक द्वारा 60 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण / कब्जा होना चाहिए
बहु उत्पाद	अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनी 12वीं बैठक में निर्धारित की गई शर्तें	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा विकासक द्वारा 50 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण / कब्जा होना चाहिए

जिन मामलों में उपर्युक्त मापदंड पूरे नहीं होंगे उनको अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड नियमावली 2006 के अनुसार सैद्धांतिक अनुमोदन एक साल के लिए मान्य है तथा सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है। अनिवार्य अधिग्रहण को निषिद्ध करने के संबंध में ईजीओएम के निर्णय के आलोक में, तीन साल की अवधि के अंदर 1000 हेक्टेयर सन्निकट भूमि का अधिग्रहण करना कठिन हो सकता है। बहु उत्पाद एसईजेड के मामले में तीन साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड ने संगत नियम में संशोधन करने हेतु कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि ऐसा प्रावधान शामिल किया जा सके।

मद संख्या 14 : पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स बिलकेयर लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन के निरसन के लिए महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध

विकासक कंपनी के प्रतिनिधि ने मामले की जानकारी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह मामला मुंबई के उच्च न्यायालय में निर्णयन के लिए लंबित है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने न्यायिक मामले के परिणाम तक महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि न्यायिक मामले का फैसला होने तक उक्त एसईजेड के संबंध में अधिसूचना के लिए विकासक के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

मद संख्या 15 : शोलिंगनल्लूर गांव, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए मैसर्स नुजिवीडू सीड्स लिमिटेड की अधिसूचना के विरुद्ध श्री अशोक राज जैन, अध्यक्ष, रेजिडेंशियल प्लॉट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, अलमेलू मांगापरम और गणपति सिंडीकेट की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मामला न्यायाधीन है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने न्यायिक मामले के परिणाम तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

पूरक एजेंडा

पूरक एजेंडा को आस्थगित कर दिया गया।
